



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012024-251035
CG-DL-E-01012024-251035

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]
No. 325]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली 29 दिसम्बर, 2023

(मामला संख्या: सीवीडी -एसएसआर-13/2023)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "बसों और लॉरियों के लिए न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर" के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

फा. सं. 7/30/2023-डीजीटीआर.—ऑटोमोटिव टायर्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ("एटीएमए") ने घरेलू उत्पादकों अर्थात् अपोलो टायर्स लिमिटेड, जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एमआरएफ लिमिटेड (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से आवेदक कहा गया है) की ओर से समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "सीवीडी नियमावली" अथवा नियमावली" भी कहा गया है) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "बसों और लॉरियों के लिए न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. अधिनियम की धारा 9(6) और सीवीडी नियमावली के नियम 24(3) के अनुसार लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए तो वे उन्हें लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाते हैं और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या उक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडीकरण तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है और क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने पर सब्सिडीकरण और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
3. सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौते के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में, 15 दिसंबर, 2023 को चीन सरकार के अधिकारियों के साथ प्रारंभिक परामर्श आयोजित किया गया था। चीन सरकार ने आरोप लगाया है कि आवेदन में दिए गए साक्ष्य के संबंध में सब्सिडी कार्यक्रम अपर्याप्त है। प्राधिकरण नोट करता है कि सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौते के अनुच्छेद 11.2 में प्रावधान है कि "आवेदन में ऐसी जानकारी शामिल होगी जो आवेदक के लिए उचित रूप से उपलब्ध है"। प्राधिकरण का मानना है कि सभी कथित कार्यक्रमों के अस्तित्व, उनकी प्रतिसंतुलनीयता और उनमें लाभ की सीमा का प्रासंगिक नियमों के अनुसार जांच के माध्यम से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

क. पृष्ठभूमि

4. मूल सब्सिडीरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा 27 मार्च, 2018 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम सं. 6/8/2018-डीजीएडी दिनांक 25 मार्च, 2019 के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक सब्सिडीरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 1/2019-सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 24 जून, 2019 के माध्यम से निश्चयात्मक उपाय लागू किए थे।
5. इसके आलवा, निर्यातकों मैसर्स शेडोंग हाओहुआ टायर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. के साथ-साथ गुआंगझोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. और एचके ट्रेड विंड ट्रेडिंग लिमिटेड, हांगकांग द्वारा दायर अनुरोध के अनुसार प्राधिकारी ने अलग प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित करने के लिए दिनांक 20 अप्रैल 2020 की अधिसूचना द्वारा न्यू शिपर समीक्षा जांच शुरू की थी। इन निर्यातकों से उनके आवेदन की वापसी के लिए प्राप्त अनुरोध के मद्देनजर प्राधिकारी ने दिनांक 4 मार्च, 2021 की अधिसूचना द्वारा न्यू शिपर जांच को समाप्त कर दिया।

ख. विचाराधीन उत्पाद

6. विचाराधीन उत्पादन मूल जांच के समान है अर्थात् बसों और लॉरियों / ट्रकों में प्रयुक्त न्यू / अनयूज्ड न्यूमेटिक रेडियल टायर चाहें ट्यूब और / या रबड़ के फ्लैप सहित हों या उनके बिना (ट्यूबलेस टायर सहित), जिनका नॉमिनल रिम व्यास कोड 16" से अधिक हो।
7. चूंकि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में यथा परिभाषित उत्पाद के समान रहेगा।
8. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 के अंतर्गत वर्गीकृत है। टायर एच एस कोड 40112010 के अंतर्गत वर्गीकृत है और ट्यूब और फ्लैप क्रमशः एच एस कोड 40131020 और 40129049 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। विचाराधीन उत्पाद को एच एस कोड 40118000 के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी प्रस्तावित निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसके वर्गीकरण पर विचार किए बिना विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर विचार करेंगे।

ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई ज्ञात खास अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताओं वाले हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा

उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह आवेदन इस उत्पाद के घरेलू उत्पादकों अर्थात् अपोलो टायर्स लिमिटेड, जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एमआरएफ लिमिटेड की ओर से ऑटोमोटिव टायर्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदकों का उत्पादन जो भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है, कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि वर्तमान आवेदन में घटक घरेलू उत्पादक अर्थात् अपोलो टायर्स लिमिटेड, जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एमआरएफ लिमिटेड सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित रूप से घरेलू उद्योग है।

ड. सब्सिडी कार्यक्रम

11. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादक/निर्यातक संबद्ध देशों तथा उन प्रदेशों और जिलों जहां उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त कार्रवाई योग्य सब्सिडियों से लाभान्वित होना जारी रखे हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ऐसे अतिरिक्त कार्यक्रम या स्कीमों हैं जिन पर वर्तमान जांच में विचार किया जाना चाहिए।

I. मूल जांच में पूर्व में प्रतिसंतुलित की गई स्कीमों

क. अनुदान के रूप में कार्यक्रम

- i. कार्यक्रम सं. 1: स्थिर परिसंपत्ति निवेश सब्सिडियां
- ii. कार्यक्रम सं. 2: स्थानीय सरकारों द्वारा पाटनरोधी और / या प्रतिसंतुलनकारी कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति
- iii. कार्यक्रम सं. 3: विदेशी आर्थिक और व्यापार विकास के लिए विशेष निधि
- iv. कार्यक्रम सं. 4: निर्यात सहायता अनुदान
- v. कार्यक्रम सं. 5: हैफेई इकोनामिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जोन में स्थित कंपनियों के लिए सब्सिडियां
- vi. कार्यक्रम सं. 6: विदेश में निवेशित उद्यमों के लिए अनहुई प्रोविन्स सब्सिडियां
- vii. कार्यक्रम सं. 7: हैफेई म्यूनिसिपल निर्यात संवर्धन नीतियां
- viii. कार्यक्रम सं. 8: हांगझोऊ इकोनामिक एंड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट एरिया में स्थित उद्यमों के लिए विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रम
- ix. कार्यक्रम सं. 9: ग्वहांगडोंग प्रोविंस में उद्योगों के "बाहरी विस्तार" के लिए निधियां
- x. कार्यक्रम सं. 10: अनुसंधान और विकास सहायता अनुदान
- xi. कार्यक्रम सं. 11: प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवीकरण या रूपांतरण से संबंधित औद्योगिक रूपांतरण और उन्नयन / अनुदानों के लिए निधि
- xii. कार्यक्रम सं. 12: ऊर्जा बचत वाली प्रौद्योगिकी में रूपांतरण के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था / प्रोत्साहन निधि के ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार / संवर्धन के लिए विशेष निधि
- xiii. कार्यक्रम सं. 13: उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान
- xiv. कार्यक्रम सं. 14: अवसंरचना निर्माण के लिए विशेष निधियां
- xv. कार्यक्रम सं. 15: विभिन्न सरकारी अनुदान – केंद्रीय, प्रादेशिक और नगर पालिका / क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त चीन जन. गण. के उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्राप्त / तदर्थ अनुदान
- xvi. कार्यक्रम सं. 16: विदेशी बौद्धिक कौशल लाने के लिए अनुदान
- xvii. कार्यक्रम सं. 17: रोजगार स्थिरीकरण, स्नातक प्रशिक्षण और भर्ती के लिए प्रादेशिक / जिला / नगर पालिका सरकार प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त अनुदान

- xxviii. कार्यक्रम सं. 18: पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधानकर्ता वित्तपोषण
- xix. कार्यक्रम सं. 19: उपकरणों के लिए रखरखाव और प्रचालन के लिए अनुदान
- xx. कार्यक्रम सं. 20: प्रादेशिक / जिला / नगर पालिका सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त पुनः स्थापन मुआवजा
- xxi. कार्यक्रम सं. 21: प्रादेशिक / जिला / नगर पालिका सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त विशिष्ट परियोजनाओं / प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तदर्थ अनुदान
- xxii. कार्यक्रम सं. 22: औद्योगिक डिजाइन के लिए अनुदान / पुरस्कार
- xxiii. कार्यक्रम सं. 23: प्रौद्योगिकीय नवाचार के लिए अनुदान / पुरस्कार
- xxiv. कार्यक्रम सं. 24: प्रतिभा परिचय निधि
- xxv. कार्यक्रम सं. 25: शोध रिपोर्ट लेखन व्यय निधि
- xxvi. कार्यक्रम सं. 26: सेवा उद्योग विकास निधि
- xxvii. कार्यक्रम सं. 27: स्व-स्वामित्व ब्रांड विकास पंजीकरण शुल्क वापसी
- xxviii. कार्यक्रम सं. 28: आयात उपकरण ब्याज सब्सिडी
- xxix. कार्यक्रम सं. 29: निर्यात रिवाइड
- xxx. कार्यक्रम सं. 30: पेटेंट सृजन और सहायता निधि
- xxxii. कार्यक्रम सं. 31: लिस्टिंग शुल्क अनुदान
- xxxiii. कार्यक्रम सं. 32: सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सब्सिडियां
- xxxiiii. कार्यक्रम सं. 33: शेनडांग प्रोविंस प्रमुख उद्योग तकनीकी सुधार परियोजना ऋण वित्तीय छूट ब्याज निधि
- xxxv. कार्यक्रम सं. 34: नन्हाई न्यू जिला औद्योगिक पार्क भूमि विशेष निधि
- xxxvi. कार्यक्रम सं. 35: ऋण और ब्याज के वित्तपोषण के लिए अनुदान
- xxxvii. कार्यक्रम सं. 36: नन्हाई न्यू जिला औद्योगिक पार्क के लिए विशेष निधि
- ख. कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में कार्यक्रम**
- xxxviii. कार्यक्रम सं. 37: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्ययों की कटौती के लिए कर नीतियां
- xxxix. कार्यक्रम सं. 38: ऐसी कंपनियों के लिए अधिमानी कर नीतियां / आय कर कटौतियां जो उच्च और नयी प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।
- xl. कार्यक्रम सं. 39: विशेष उपकरण की खरीद से संबंधित कर क्रेडिट
- ग. अधिमानी ऋण और उधार के रूप में कार्यक्रम**
- xli. कार्यक्रम सं. 40: सरकारी नीतिगत उधार
- xlii. कार्यक्रम सं. 41: राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को अधिमानी ऋण
- xliii. कार्यक्रम सं. 42: निर्यातोन्मुखी उद्यमों के लिए छूट प्राप्त ऋण और निर्यात ऋण ब्याज सब्सिडियां
- xliiii. कार्यक्रम सं. 43: टायर उद्योग के लिए अधिमानी ऋण और ब्याज दरें
- घ. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात क्रेडिट के रूप में कार्यक्रम**
- xliv. कार्यक्रम सं. 44: निर्यात क्रेडिट बीमा सब्सिडी
- xlv. कार्यक्रम सं. 45: निर्यात विक्रेता ऋण

xlvi. कार्यक्रम सं. 46: निर्यात क्रेता ऋण

xlvii. कार्यक्रम सं. 47: राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य निर्यात वित्तपोषण

ड. पर्याप्त से कम मूल्य (एलटीएआर) पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम

xlviii. कार्यक्रम सं. 48: पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली का प्रावधान

xlix. कार्यक्रम सं. 49: उद्योग और अन्य विशेष आर्थिक जोन में एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार

i. कार्यक्रम सं. 50: एलटीएआर पर सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को भूमि का प्रावधान

ii. कार्यक्रम सं. 51: विदेशी निवेश उद्यमों के लिए एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार

iii. कार्यक्रम सं. 52: आर्थिक विकास जोन में भूमि उपयोग अधिकार

liii. कार्यक्रम सं. 53: पर्याप्त से कम मूल्य पर कार्बन ब्लैक का प्रावधान

II. नये सब्सिडी कार्यक्रम

क. अनुदानों के रूप में कार्यक्रम

i. कार्यक्रम सं. 54: हरित कारखाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

ii. कार्यक्रम सं. 55: केंद्रीय, प्रादेशिक या नगर पालिका / क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त चीन के प्रसिद्ध ब्रांड

iii. कार्यक्रम सं. 56: भूमि अधिग्रहण और ध्वस्त करने के खर्च की निधि के लिए मुआवजा

iv. कार्यक्रम सं. 57: विदेशी सहायक कंपनियों में निवेश करने के लिए निधियां

v. कार्यक्रम सं. 58: वाणिज्य विभाग की विनिमय दर सब्सिडियां

vi. कार्यक्रम सं. 59: हुबेई में उद्यमों के लिए स्थिर परिसंपत्ति निवेश हेतु अनुदान

vii. कार्यक्रम सं. 60: हुबेई में स्थित उद्यमों के लिए उच्च गुणवत्ता विकास के लिए विशेष निधि

viii. कार्यक्रम सं. 61: सड़क परिवहन सब्सिडी

ix. कार्यक्रम सं. 62: प्रादेशिक / जिला / नगर पालिका सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त बौद्धिक संपदा अधिकार

x. कार्यक्रम सं. 63: यन्ताई आर्थिक विकास जोन में हाइटेक उद्यमों के लिए विशेष निधियां

xi. कार्यक्रम सं. 64: बिजली सब्सिडी

xii. कार्यक्रम सं. 65: उद्यम सामाजिक सुरक्षा सब्सिडी

xiii. कार्यक्रम सं. 66: प्रमुख निर्यात उद्योगों का रूपांतरण और उन्नयन

xiv. कार्यक्रम सं. 67: प्रमुख उद्यमों की उत्पादन वृद्धि और दक्षता के लिए प्रोत्साहन निधि / पुरस्कार

xv. कार्यक्रम सं. 68: उत्पादन उन्मुखी निर्यात उद्यमों के विस्तार के लिए प्रोत्साहन निधि

xvi. कार्यक्रम सं. 69: उद्योग उद्यम आपदा राहत निधि

ख. कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में कार्यक्रम

xvii. कार्यक्रम सं. 70: निर्यातों पर निर्यात कर से छूट / कर वापसी

xviii. कार्यक्रम सं. 71: स्थिर परिसंपत्तियों का त्वरित मूल्यहास

xix. कार्यक्रम सं. 72: हाइटेक उद्यमों के लिए शहरी भूमि उपयोग कर संबंधी कर प्रोत्साहन

xx. कार्यक्रम सं. 73: केंद्रीय, प्रादेशिक या नगर पालिका / क्षेत्रीय सरकारी प्राधिकरणों द्वारा करों और शुल्कों की वापसी / छूट / माफी

- xxi. कार्यक्रम सं. 74: आयातित उपकरणों के लिए आयात टैरिफ / प्रभारों और वैट से राहत
- xxii. कार्यक्रम सं. 75: आयातित इनपुट के लिए आयात टैरिफ / प्रभारों और वैट से राहत
- ग. इक्विटी निवेश के रूप में कार्यक्रम
- xxiii. कार्यक्रम सं. 76: प्रोमटोम टायर ग्रुप एसआरएल में शेयरों को कैम चाइना द्वारा एलूस टायर को देना
- xxiv. कार्यक्रम सं. 77: बाहरी निवेश करने वाली कंपनियों के लिए वन बेल्ट वन रोड पहल के अंतर्गत अधिमानी वित्तपोषण
- xxv. कार्यक्रम सं. 78: इक्विटी हस्तांतरण के लिए ऋण

घ. पर्याप्त से कम मूल्य (एलटीएआर) पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में सहायता

- xxvi. कार्यक्रम सं. 79: पर्याप्त से कम मूल्य पर नयलॉन टायर कोड फैब्रिक का प्रावधान
- xxvii. कार्यक्रम सं. 80: पर्याप्त से कम मूल्य पर सिंथेटिक रबड़ का प्रावधान
- xxviii. कार्यक्रम सं. 81: पर्याप्त से कम मूल्य पर प्राकृतिक रबड़ का प्रावधान

ड. अधिमानी वित्तपोषण के रूप में सहायता

- xxix. कार्यक्रम सं. 82: जीओसी / सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा ऋण गारंटी / क्रेडिट ऋण गारंटी / निर्यात ऋण गारंटी का प्रावधान

12. निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी अन्य सब्सिडियों की जांच कर सकते हैं जो जांच की प्रक्रिया के दौरान संबद्ध देशों में मौजूद और संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा लाभ उठायी गई पायी जाएं।

च. सब्सिडी और क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति होने की संभावना

13. इस बात पर विचार करते हुए कि तीसरे देश को निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम पर हो रहे हैं, तीसरे देश के द्वारा लागू व्यापार उपचारात्मक उपाय, संबद्ध देश में क्षमता वृद्धि, शुल्क के अभाव में आयातों का संभावित ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर सब्सिडीरोधी शुल्क को हटाने के संभावित प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करते हुए सब्सिडीरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में सब्सिडीकरण और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति होने की संभावना के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं।

छ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

14. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और सब्सिडीकरण तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, सीवीडी नियमावली के नियम 24 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार इस निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

ज. संबद्ध देश

15. वर्तमान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

झ. जांच की अवधि

16. आवेदकों ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023 (15 माह) की जांच अवधि प्रस्तावित की है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि जुलाई, 2022 – जून, 2023 को जांच अवधि मानने से आवेदक घरेलू उद्योग के लिए लागत संबंधी आंकड़े तैयार करने में अत्यधिक व्यवहारिक कठिनाइयां होंगी क्योंकि ये अनेक संयंत्रों वाली बहु उत्पाद कंपनियां हैं। आवेदक कंपनियों ने यह भी बताया है कि इस मामले में तथ्यों में कोई वास्तविक बदलाव भी नहीं आएगा क्योंकि वर्तमान मामला सब्सिडी और क्षति की जारी रहने की संभावना पर आधारित है जिसका पीओआई के रूप में विचारित अवधि से कोई लेना देना नहीं है। प्राधिकारी ने अप्रैल, 2022 से जून, 2023

(वार्षिकीकृत) की अवधि और जुलाई, 2022 से जून, 2023 पर विचार करते हुए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों से आयात मात्रा और आयात कीमत की जांच की है। यह देखा गया था कि आयात मात्रा, मूल्य और सीआईएफ कीमत के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं था। इसके अलावा, वर्तमान जांच सब्सिडी और क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति की संभावना से संबंधित है। अतः प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तावित जांच अवधि स्वीकृत की है जो 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023 (15 माह) की है।

17. क्षति जांच अवधि पर जांच अवधि तथा तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों अर्थात् 2019-20, 2020-21, 2021-22 के रूप में विचार किया गया है।

ब. प्रक्रिया

18. इस निर्णायक समीक्षा जांच में अधिसूचना सं. 6/8/2018-डीजीएडी दिनांक 25 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में सब्सिडी और क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति का संभावना विश्लेषण भी करेंगे।
19. नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 और 22 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ वर्तमान जांच पर लागू होंगे।

द. सूचना प्रस्तुत करना

20. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in, ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
21. संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के जरिए उसकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उत्पादक को नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ईमेल पतों पर नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार इस नोटिस के प्राप्त की तारीख से तीस दिन (30 दिन) के भीतर ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in, ad12-dgtr@gov.in पर प्राप्त हो जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियामवली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान जांच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी

साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से गोपनीय या अगोपनीय अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।
32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नियमावली 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के पर्याप्त स्पष्टीकरण वाला एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
33. हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 23 के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
34. नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के संबंध में उसके किसी सार्थक अगोपनीय अंश या उसके पर्याप्त और पूर्ण कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
35. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करना नहीं चाहता या उसके सामान्य अथवा सारांश रूप का प्रकटन करने को प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
36. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/ सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें। अनुरोध/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित करने में विफल रहने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

द. असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2023

(Case No. CVD-SSR- 13/2023)**Subject : Initiation of sunset review investigation of countervailing duty concerning imports of “new pneumatic radial tyres for buses and lorries” originating in or exported from China PR**

F. No. 7/30/2023-DGTR.—Automotive Tyres Manufacturers Association (“ATMA”) has filed an application on behalf of the domestic producers namely Apollo Tyres Limited, J.K. Tyre Industries Limited and MRF Limited (hereinafter collectively referred to as “applicants”) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) under the provisions of the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “CVD Rules” or “Rules”) for the initiation of a sunset review investigation of countervailing duties concerning imports of “new pneumatic radial tyres for buses and lorries” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. In terms of Section 9 (6) of the Act and Rule 24 (3) of the CVD Rules, the countervailing duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of the said countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether there is a need for the continued imposition of the countervailing duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury.

3. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, pre-initiation consultations were held with the officials of the Government of China on 15th December, 2023. The Government of China has alleged that the evidence provided in the application regarding subsidy programs is insufficient. The Authority notes that Article 11.2 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures provides that “the application shall contain such information as is reasonably available to the applicant”. The Authority considers that the existence of all alleged programs, their countervailability and extent of benefit therein are required to be analysed through an investigation as per the relevant rules.

A. Background

4. The original anti-subsidy investigation was initiated by the Authority on 27th March 2018. The Authority recommended the imposition of definitive anti-subsidy duties on the imports of the subject goods from the subject countries vide final finding No. 6/8/2018-DGAD dated 25th March 2019. The definitive measures were imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 1/2019-Customs (CVD), dated 24th June 2019.

5. Further, pursuant to a request by filed by the exporters M/s. Shandong Haohua Tire Co. Ltd., China PR along with Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd., China PR and HK Trade Wind Trading Limited, Hong Kong, the Authority initiated new shipper review investigation vide notification dated 20th April 2020 for determination of individual countervailing duty. In view of the request received from these exporters for withdrawal of their application, the Authority terminated the new shipper investigation vide notification dated 4th March 2021.

B. Product under Consideration

6. The product under consideration is the same as in the original investigation i.e., “New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks”.

7. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

8. The product under consideration is classified under Chapter 40 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Tyres are classified under HS code 40112010 and tubes and flaps are classified under HS codes 40131020 and 40129049 respectively. The product under consideration is also being imported under the HS code 40118000. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present

investigation. The Authority shall consider imports of the product under consideration, irrespective of its classification for the purpose of the proposed determination.

C. Like Article

9. The applicants have claimed that there are no known significant differences in the goods produced by the petitioning domestic producers and that exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The applicants have claimed that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of present investigation, the subject goods produced by the petitioning domestic producers are being treated as 'like article' to the subject goods originating in or exported from the subject countries.

D. Domestic Industry and Standing

10. The application has been filed by Automotive Tyre Manufacturer's Association on behalf of the domestic producers of the product namely, Apollo Tyres Limited, J.K. Tyre Industries Limited and MRF Limited. As per the evidence available on record, production of the applicants, being more than 50% of Indian production, accounts for a major proportion of the total domestic production. The Authority determines that the constituent domestic producers in the present application namely Apollo Tyres Limited, J.K. Tyre Industries Limited and MRF Limited constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the CVD Rules.

E. Subsidy Programs

11. The applicants have alleged that the producers/ exporters of the subject goods in the subject countries continue to be benefitted from actionable subsidies provided at various levels by the Governments of the subject countries, including the provinces and districts in which producers/exporters are located. The applicants have also claimed that there are additional programs or schemes that should be considered in the present investigation.

I. Schemes previously countervailed in the Original Investigation

a. Programs in the Form of Grants

- i. Program No. 1: Fixed Asset Investment Subsidies
- ii. Program No. 2: Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments
- iii. Program No. 3: Special fund for foreign economic and trade development
- iv. Program No. 4: Export Assistance Grant
- v. Program No. 5: Subsidies for Companies Located in the Hefei Economic and Technology Development Zone
- vi. Program No. 6: Anhui Province Subsidies for Foreign-Invested Enterprises
- vii. Program No. 7: Hefei Municipal Export Promotion Policies
- viii. Program No. 8: Various subsidy programs for enterprises located in Hangzhou Economic and Technology Development Area
- ix. Program No. 9: Funds for "Outward Expansion" of Industries in Guangdong Province
- x. Program No. 10: Research and Development Assistance Grant
- xi. Program No.11: Fund for Industrial Transformation and Upgrading / Grants related to technological upgrading, renovation or transformation
- xii. Program No. 12: Special funds for energy saving technology reform / promotion of circular economy/ incentive fund for transformation of energy-saving technology
- xiii. Program No. 13: Grants for purchase of equipments
- xiv. Program No. 14: Special funds for infrastructure construction
- xv. Program No. 15: Various Government grants- Received by producers/exporters of China PR/ Ad hoc grants provided by central, provincial and municipal/regional authorities
- xvi. Program No. 16: Grant for Bringing in Foreign Intellectuals
- xvii. Program No. 17: Grants for Employment Stabilization, Graduates Training and recruitment provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
- xviii. Program No. 18: Postdoctoral researchers funding

- xix. Program No. 19: Grants for maintenance and operation of equipments
- xx. Program No. 20: Relocation Compensation provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
- xxi. Program No. 21: Ad-hoc grants for implementing specialized projects/pilot projects provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
- xxii. Program No. 22: Grants/Awards for Industrial Design
- xxiii. Program No. 23: Grants/Awards for Technological Innovation
- xxiv. Program No. 24: Talent introduction fund
- xxv. Program No. 25: Research report writing expenditure refund
- xxvi. Program No. 26: Service industry development fund
- xxvii. Program No. 27: Self-owned Brand Development Registration Fee refund
- xxviii. Program No. 28: Import Equipment interest subsidy
- xxix. Program No. 29: Export Rewards
- xxx. Program No. 30: Patent Creation and Support Fund
- xxxi. Program No. 31: Listing Fee Grant
- xxxii. Program No. 32: Subsidies for listed companies
- xxxiii. Program No. 33: Shandong Province Key Industry Technical Reform Project Loan Financial Discount Interest Fund
- xxxiv. Program No. 34: Nanhai New District Industrial Park Land Special Fund
- xxxv. Program No. 35: Grants for financing loans and interest
- xxxvi. Program No. 36: Special funds for land in Nanhai New District Industrial Park

b. Programs in the form of Tax and Vat Incentives

- xxxvii. Program No. 37: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
- xxxviii. Program No. 38: Preferential tax policies/ Income Tax Reductions for companies that are recognized as high and new technology companies
- xxxix. Program No. 39: Tax credit concerning the purchase of special equipment

c. Programs in the Form of Preferential Loans and Lending

- xl. Program No. 40: Government Policy Lending
- xli. Program No. 41: Preferential Loans to State Owned Enterprises
- xlii. Program No. 42: Discounted Loans for Export-Oriented Enterprises and Export Loan Interest Subsidies
- xliii. Program No. 43: Preferential loans and interest rates to the Tyre Industry

d. Programs in the form of Export Financing and Export Credit

- xliv. Program No. 44: Export Credit Insurance Subsidy
- xlv. Program No. 45: Export Seller's Credit
- xlvi. Program No. 46: Export Buyer's Credit
- xlvii. Program No. 47: Other Export Financing from State-Owned Banks

e. Programs in the Form of Provision of Goods and Services at Less Than Adequate Remuneration (LTAR)

- xlviii. Program No. 48: Provision of Electricity for Less Than Adequate Remuneration
- xlix. Program No. 49: Land Use Rights at LTAR in Industrial and Other Special Economic Zone
- l. Program No. 50: Provision of Land to State Owned Enterprises at LTAR
- li. Program No. 51: Land Use rights at LTAR for Foreign Invested Enterprises

- lii. Program No. 52: Land-Use Rights at LTAR in Economic Development Zones
- liii. Program No. 53: Provision of Carbon Black for Less Than Adequate Remuneration

II. New Subsidy Programs

a. Programs in the Form of Grants

- i. Program No. 54: National Award for Green Factory
- ii. Program No. 55: Famous Brands of China recognized by central, provincial or municipal/regional authorities
- iii. Program No. 56: Compensation for land acquisition and demolition spending funds
- iv. Program No. 57: Funds for making investments in overseas subsidiaries
- v. Program No. 58: Department of Commerce exchange rate subsidies
- vi. Program No. 59: Grants for fixed asset investment for enterprises in Hubei
- vii. Program No. 60: Special Fund for High-quality Development for enterprises located in Hubei
- viii. Program No. 61: Road Transportation Subsidy
- ix. Program No. 62: Intellectual Property Awards provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
- x. Program No. 63: Special funds for high-tech enterprises in Yantai Economic Development Zone
- xi. Program No. 64: Electricity subsidy
- xii. Program No. 65: Enterprise social security subsidy
- xiii. Program No. 66: Transformation and upgrading of key export industries
- xiv. Program No. 67: Incentive funds/ Awards for increasing production and efficiency of key enterprises
- xv. Program No. 68: Incentive funds for Expansion of production-oriented export enterprises
- xvi. Program No. 69: Industrial enterprise disaster relief funds

b. Programs in the form of Tax and Vat Incentives

- xvii. Program No. 70: Export tax rebate/Tax Refund on Exports
- xviii. Program No. 71: Accelerated depreciation of fixed assets
- xix. Program No. 72: Tax incentives on urban land use tax for high tech enterprises
- xx. Program No. 73: Refund/Rebate/Remission of taxes and fees by central, provincial or municipal/regional governmental authorities
- xxi. Program No. 74: Import Tariff/Charges and VAT Relief for Imported Equipment
- xxii. Program No. 75: Import Tariff/Charges and VAT Relief for Imported Inputs

c. Programs in the form of Equity Infusion

- xxiii. Program No. 76: Grant of Shares in Prometeon Tyre Group S.r.l. to Aeolus Tyres by ChemChina
- xxiv. Program No. 77: Preferential Financing under One Belt One Road Initiative for Companies making Outward Investments
- xxv. Program No. 78: Debt for Equity Swaps

d. Programs in the Form of Provision of Goods and Services at Less Than Adequate Remuneration (LTAR)

- xxvi. Program No. 79: Provision of Nylon Tyre Cord Fabric for Less Than Adequate Remuneration
- xxvii. Program No. 80: Provision of Synthetic Rubber for Less Than Adequate Remuneration
- xxviii. Program No. 81: Provision of Natural Rubber for Less than Adequate Remuneration

e. Programs in the Form of Preferential Financing

- xxix. Program No. 82: Provision of Loan Guarantee/Credit Loan Guarantee/Export Credit Guarantee by GOC/ State owned Banks

12. The Designated Authority may investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers/ exporters of the subject goods in the subject countries, during the course of the investigation.

F. Likelihood of continuation/recurrence of subsidy and injury

13. There is prima facie evidence of likelihood of continuation/recurrence of subsidization and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-subsidy duty, considering third country exports at prices lower than the export price to India and non-injurious price of the domestic industry, trade remedial measures imposed by third countries, capacity additions in the subject country, likely suppression or depression effect of imports in the absence of duties, and likely adverse impact of cessation of anti-subsidy duty on the performance of the domestic industry.

G. Initiation of sunset review investigation

14. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicants, substantiating likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of countervailing duty on imports of the subject goods from the subject country and to examine whether the expiry of the existing countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidy and consequent injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 of the Act, read with Rule 24 of the CVD Rules.

H. Subject countries

15. The subject country for the present countervailing duty investigation is China PR.

I. Period of investigation

16. The applicants have proposed period of investigation as 1st April 2022 to 30th June 2023 (15 months) for the purpose of the present investigation. The applicants have submitted that consideration of July 2022 – June 2023 as the investigation period would result in significant practical difficulties for the preparation of the costing data for the applicant domestic industry as these are multi-product companies having several plants. The applicant companies further submitted that there would be no material difference in the merits of the case as the present case is based on continuation of subsidies and likelihood of injury which do not have any bearing on the period considered as POI. The Authority examined import volume and import price from the DGCI&S data considering the period April 2022 to June 2023 (annualised) and July 2022 to June 2023. It was observed that there was no material difference between import volume, value and CIF price. In addition, the present investigation is concerning likelihood of continuation/recurrence of subsidies and injury. The Authority has therefore, accepted the period of investigation proposed by the applicants which is 1st April 2022 to 30th June 2023 (15 months).

17. The injury investigation period has been considered as the period of investigation and the three preceding financial years, i.e. 2019-20, 2020-21, 2021-22.

J. Procedure

18. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 6/8/2018-DGAD dated 25th March 2019. The Authority will also undertake likelihood analysis of continuation/ recurrence of subsidization and injury in the event of expiry of countervailing duty in force.

19. The provisions of Rules 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 and 22 shall apply mutatis mutandis in the present investigation.

K. Submission of Information

20. All communication should be sent to the Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in, ad12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

21. The known producers/exporters from the subject country, their government through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producers are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

L. Time Limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in, ad12-dgtr@gov.in within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 7(4) of the CVD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

M. Submission of information on confidential basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/ submissions.
28. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non- Confidential versions separately.
29. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
32. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
33. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of paragraph 23 of this initiation notification.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

37. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non- confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. Non-cooperation

38. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority